रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220966
CG-DL-E-07082020-220966

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2323] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942**
No. 2323] **NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

का.आ. 2621(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्-द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर/संपर्क नम्बर/ई-मेल आई.डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

दि.मु.यो – 2021 में प्रावधान

तालिका 6. 2: विकास नियंत्रण – थोक व्यापार

विद्यमान प्रावधान

उपयोग / उपयोग परिसर	अधिकतम			पार्किंग स्टैंडर्ड ई.सी.एस/तल क्षेत्रफल का 100 वर्ग मी.	परिभाषा	अनुमत कार्यकलाप
	ग्राउंड कवरेज %	एफ.ए.आर.	ऊँचाई (मी.)			
एकीकृत भाडा परिसर /थोक बाजार ।	30	80	(i) की शर्त के आधार पर कोई पाबंदी नहीं।	3	थोक बाजार । एक परिसर जहां से माल और वस्तुएं बेची जाती हैं और खुदरा विक्रेता को सौंपी जाती हैं । परिसरों में स्टोरेज और गोदाम, लादने और उतारने की सुविधाएं सम्मिलित हैं ।	थोक विक्रय दुकान, गोदाम और स्टोरेज, व्यावसायिक कार्यालय (कुल तल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत प्रतिबंधित है), रैन बसेरा ।

टिप्पणी :

i) ऊँचाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्नि शमन और अन्य वैधानिक निकायों से अनुमति मिलने की शर्त पर ।

ii) 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के मामले में सामान्य (कॉमन) पार्किंग की व्यवस्था की जाए ।

iii) 300 वर्ग मीटर और उससे अधिक आकार के प्लॉटों के मामले में, ई.एस.एस. भूमिगत जल संचयन टैंक, ऊपरी छत पर जल एकत्र करने की व्यवस्था, अलग से शुष्क और नम डस्टबिन, सौर ऊर्जा/रोशनी प्रणाली आदि की व्यवस्था प्लॉट में की जाए ।

iv) किसी व्यापक/एकीकृत विकास योजना का भाग न होने वाले व्यक्तिगत प्लॉटों के मामले में विकास नियंत्रण पहले ही अनुमोदित योजना/ले-आउट प्लान के अनुसार होंगे ।

प्रस्तावित संशोधन/आशोधन

उपयोग/ उपयोग परिसर	अधिकतम			पार्किंग स्टैंडर्ड ई.सी.एस/तल क्षेत्रफल का 100 वर्ग मी.	परिभाषा	अनुमत कार्यकलाप
	ग्राउंड कवरेज %	एफ.ए.आर.	ऊँचाई (मी.)			
एकीकृत भाडा परिसर/ थोक बाजार/ **भांडागार योजनाएं।**	40	100	(i) की शर्त के आधार पर कोई पाबंदी नहीं।	3	थोक बाजार। एक परिसर जहां से माल और वस्तुएं बेची जाती हैं और खुदरा विक्रेता को सौपी जाती हैं। परिसरों में स्टोरेज और गोदाम/ **भांडागार**, लादने और उतारने की सुविधाएं सम्मिलित हैं।	थोक विक्रय दुकान, गोदाम और स्टोरेज, व्यावसायिक कार्यालय (कुल तल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत प्रतिबंधित है), रैन बसेरा, **भांडागार एवं उससे संबंधित सुविधाएं।**

टिप्पणी:

i) ऊँचाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्नि शमन अन्य वैधानिक निकायों से अनुमति मिलने की शर्त पर ।

ii) 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के मामले में सामान्य (कॉमन) पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

iii) 300 वर्ग मीटर और उससे अधिक आकार के प्लॉटों के मामले में, ई.एस.एस. भूमिगत जल संचयन टैंक, ऊपरी छत पर जल एकत्र करने की व्यवस्था, अलग से शुष्क और नम डस्टबिन, सौर ऊर्जा/रोशनी प्रणाली आदि की व्यवस्था प्लॉट में की जाए ।

iv) किसी व्यापक/एकीकृत विकास योजना का भाग न होने वाले व्यक्तिगत प्लॉटों के मामले में विकास नियंत्रण पहले ही अनुमोदित योजना/ले-आउट प्लान के अनुसार होंगे ।

v) “गोदाम” एक ऐसा क्षेत्र है, जहां लंबी अवधि के लिए सामग्री को बड़ी मात्रा में रखा जाता है और वस्तुओं के आसान वितरण के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक उद्यमों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें वस्तुओं के स्वामियों की बहुलता हो सकती है।

vi) “भंडारण” स्वयं के उपयोग हेतु वस्तुओं के भंडारण का क्षेत्र है।

vii) “भांडागार” ऐसा क्षेत्र है, जहां वस्तुओं के भंडारण और खुदरा विक्रेताओं को इसके विक्रय के लिए अनुमति दी जाती है। इसमें वस्तुओं के स्वामियों की बहुलता हो सकती है।

viii) अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रभार के अनुसार देय होगा।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx. पर भी उपलब्ध है।

[सं. एफ 3(84)/2010-एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th August, 2020

S.O. 2621(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 **or** via e-mail to **mpd2021.public@dda.org.in** within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modification:

Provision in MPD - 2021

Table 6. 2: Development Controls – Wholesale Trade

Existing Provisions

Use/ Use Premises	Maximum Ground Coverage %	Maximum FAR	Maximum Height (m)	Parking Standard ECS/100 sq.m. of floor area	Definition	Activities Permitted
Integrated Freight Complex / Wholesale Market	30	80	No Restriction subject to (i)	3	Wholesale Market. A premise from where goods and commodities are sold and delivered to retailers. The premises include storage and godown, loading and unloading facilities.	Wholesale shop, Godown and storage, Commercial office (restricted to 25% of the total floor area), Night Shelter

Notes:
i) Height subject to clearance from Airport Authority of India, Fire Department and other statutory bodies.
ii) In case of plots upto 300 sqm. common parking is to be provided.

Proposed Amendments / Modifications

Use/ Use Premises	Maximum Ground Coverage %	Maximum FAR	Maximum Height (m)	Parking Standard ECS/100 sq.m. of floor area	Definition	Activities Permitted
Integrated Freight Complex / Wholesale Market / **Ware-housing Schemes**	**40**	**100**	No Restriction subject to (i)	3	Wholesale Market. A premise from where goods and commodities are sold and delivered to retailers. The premises include storage and godown/ **ware-house**, loading and unloading facilities.	Wholesale shop, Godown and storage, Commercial office (restricted to 25% of the total floor area), Night Shelter, **Warehouse and its related facilities.**

Notes:
i) Height subject to clearance from Airport Authority of India, Fire Department and other statutory bodies.
ii) In case of plots upto 300 sqm. common parking is to be provided.
iii) In case of plots of size 300 sqm and above, the utilities such as E.S.S., underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, solar heating / lighting system etc. are to be provided within the

iii) In case of plots of size 300 sqm and above, the utilities such as E.S.S., underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, solar heating / lighting system etc. are to be provided within the plot. iv) In case of individual plots not forming part of any comprehensive / integrated development scheme, the development controls shall be as per already approved scheme / layout plan.	plot. iv) In case of individual plots not forming part of any comprehensive / integrated development scheme, the development controls shall be as per already approved scheme / layout plan. **v) "Godown" is an area where material is stored in bulk for a longer period and is used by commercial enterprises for the purpose of easy distribution of goods. There can be multiplicity of owners of goods.** **vi) "Storage" is an area for storing goods for the self use.** **vii) "Warehousing" is an area where storage of commodities and its selling to retailers is allowed. There can be multiplicity of owners of goods.** **viii) The Additional FAR charge shall be payable as decided by Government from time to time.**

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above.The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. **https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx.**

[No. F.3 (84)2010-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.08.07 23:16:55 +05'30'